

## प्रेस नोट दिनांक 20.11.2020

1. दिनांक 19.11.20 को वादी उ0नि0 श्री राजेन्द्र यादव थाना रा0ज0भू0 अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि मस्तराम पुत्र सुखराम नि0 समसुददीनपुर थाना को0अयोध्या अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद चाकू नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना रा0ज0भू0 में मु0अ0सं0 144/20 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।
2. दिनांक 19.11.20 को वादी श्री अनिल कुमार पुत्र हौसिला प्रसाद नि0 मानापारा पंचरुखवा थाना गोसाईगंज अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि वाहन संख्या यूपी 42 बीबी 3119 को चालक अजय सिंह पुत्र शेर बहादुर सिंह पता अज्ञात अभि0 द्वारा तेजगति व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर वादी को टक्कर मार देना जिससे गम्भीर रूप से घायल हो जाना। जिसके संबंध में थाना गोसाईगंज में मु0अ0सं0 498/20 धारा 279, 337, 338 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
3. दिनांक 19.11.20 को वादी का0 मनोज पाण्डेय थाना गोसाईगंज अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि राजेश कुमार पुत्र ओम प्रकाश नि0 मडना थाना उपरहार थाना महाराजगंज अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना गोसाईगंज में मु0अ0सं0 499/20 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
4. दिनांक 19.11.20 को वादी का0 शैलेन्द्र यादव थाना गोसाईगंज अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि रामअवध पुत्र मनबोध नि0 बेनिया थाना गोसाईगंज अयोध्या अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना गोसाईगंज में मु0अ0सं0 500/20 धारा 60 आबकारी अधि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
5. दिनांक 19.11.20 को वादी का0 छोटू पासवान थाना गोसाईगंज अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि संदीप उर्फ चिरकुट पुत्र राम गोपाल सोनी नि0 शाहिदवारी थाना गोसाईगंज अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना गोसाईगंज में मु0अ0सं0 501/20 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
6. दिनांक 19.11.20 को वादी श्री प्रवेश कुमार पाण्डेय पुत्र रामचन्द्र पाण्डेय नि0 इटौरा थाना पूराकलन्दर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि वाहन संख्य यूपी 42 एटी 8764 का चालक नाम पता अज्ञात वाहन चालक द्वारा तेजगति व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर वादी के भतीजे दुर्गेश पाण्डेय व रविशंकर को टक्कर मार देना जिससे इलाज के दौरान मृत्यु हो जाना। जिसके संबंध में थाना महाराजगंज में मु0अ0सं0 483/20 धारा 279, 304ए भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
7. दिनांक 19.11.20 को वादी उ0नि0 श्री रमेश कुमार थाना रौनाही अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि शिहू पुत्र बल्लू नि0 शेखपुर जाफर थाना रौनाही अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना रौनाही में मु0अ0सं0 544/20 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
8. दिनांक 19.11.20 को वादी उ0नि0 श्री रमेश कुमार थाना रौनाही अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि डोमे पुत्र कल्लू नि0 शेखपुर जाफर थाना रौनाही अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना रौनाही में मु0अ0सं0 545/20 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
9. दिनांक 19.11.20 को वादी उ0नि0 श्री विजय कुमार यादव थाना हैदरगंज अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि सतीश कुमार सिंह पुत्र स्व0 तेज प्रताप सिंह नि0 मनऊपुर थाना हैदरगंज अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना हैदरगंज में मु0अ0सं0 358/20 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
10. दिनांक 19.11.20 को वादी श्री दुर्गा प्रसाद शुक्त थानाध्यक्ष तारुन अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि रामचरन उर्फ डबलू पुत्र राजेन्द्र भारती नि0 केवलापुर तकमीनगंज थाना तारुन अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 425

ग्राम गांजा नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना तारून में मु0अ0सं0 454/20 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।

11. दिनांक 19.11.20 को वादी का0 अनुज कुमार थाना खण्डासा अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि त्रिवेणी पुत्र रामफेर नि0 भखौली पूरे कुंजन थाना खण्डासा अयोध्या अभियुक्त के कब्जे से 05 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना खण्डासा में मु0अ0सं0 491/20 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।

12. दिनांक 19.11.20 को वादी उ0नि0 श्री जितेन्द्र यादव थाना पटरंगा अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि रामगोपाल पुत्र सन्तराम नि0 डिलवल थाना पटरंगा अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना पटरंगा में मु0अ0सं0 245/20 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।

13. दिनांक 19.11.20 को वादी उ0नि0 श्री सुनील कुमार थाना पटरंगा अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि मौजीराम पुत्र बृद्धिराम नि0 मकदूमपुर थाना पटरंगा अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना पटरंगा में मु0अ0सं0 246/20 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।